न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018RAAJu223RTA150 Meera etc Vs Chenaram etc and Similar 2 ors

(1) 2018RAAJu223RTA150 Meera etc Vs Chenaram etc

1. मीरा पत्नी स्व. कानाराम विश्नोई
2. रामनिवास पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
3. भीखाराम पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
4. सुनील पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
5. कैलाश पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
6. बालकिशन पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
7. अनिल पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
8. साकू पुत्री स्व. कानाराम विश्नोई
9. रोशनी पुत्री स्व. कानाराम विश्नोई
10. पार्वती पुत्री स्व. कानाराम विश्नोई
11. छोटूराम पुत्र काजूराम विश्नोई

निवासीगण ग्राम उग्रास, तहसील फलोदी जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. चेनाराम पुत्र स्व. उदाराम कुम्हार
2. घेवरराम पुत्र स्व. उदाराम कुम्हार
3. रतनाराम पुत्र स्व. उदाराम कुम्हार
4. पपु पत्नी स्व. उदाराम कुम्हार
5. गजाराम पुत्र धोकलराम कुम्हार
6. चुनाराम पुत्र धोकलराम कुम्हार
7. घमण्डाराम पुत्र धोकलराम कुम्हार

निवासीगण ग्राम देचू, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

8. जन्तूकंवर पत्नी स्व. दलसिंह राजपूत
9. मोहनकंवर पुत्री स्व. दलसिंह राजपूत
10. किशनकंवर पुत्री स्व. दलसिंह राजपूत
11. चुनकंवर पुत्री स्व. दलसिंह राजपूत

निवासीगण ग्राम उग्रास, तहसील फलोदी जिला जोधपुर

12. महिपाल पुत्र बाबूलाल विश्नोई
13. रामनिवास पुत्र बाबूलाल विश्नोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

14. विनोद पुत्र आदूराम विश्नोई
15. झमू पत्नी स्व. आदूराम विश्नोई
16. लक्ष्मी पुत्री स्व. आदूराम विश्नोई
    निवासीगण ग्राम ढढू, तहसील फलोदी
    जिला जोधपुर
17. स्मीता जैन पत्नी लाडेश जैन,
    निवासी ए-68, कमला नेहरु नगर, जोधपुर
18. निदेशक जरिये एस.ई.आई. सोलर पॉवर प्राईवेट लि.
    10 फ्लोर मेनन इण्टरनिटी 1645 सेण्टमेरी रोड
    अलवर पेठ, चैन्नई
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 24 जुलाई 2018 राजस्व वाद संख्या 401/2012 स्व. उदाराम के कायममुकामान व अन्य बनाम जन्तुकंवर इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री शेरसिंह राठौड, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 7
श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 17
श्री किशोर रंगा, अधिवक्त-रेस्पो. संख्या 18
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. 19

(2) 2018RAAJu223RTA156 Smt Smita Jain Vs Chenaram etc

श्रीमती स्मिता जैन पत्नी श्री लाडेश जैन
निवासी ए-68, कमला नेहरु नगर,
जोधपुर (राज.)

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1. स्व. उदाराम पुत्र धोकलराम कुम्हार के कायममुकामान--
    a. चेनाराम पुत्र स्व. उदाराम कुम्हार
    b. घेवरराम पुत्र स्व. उदाराम कुम्हार
    c. रतनाराम पुत्र स्व. उदाराम कुम्हार
    d. पपु पत्नी स्व. उदाराम कुम्हार
2. गजाराम पुत्र धोकलराम कुम्हार
3. चुनाराम पुत्र धोकलराम कुम्हार
4. घमण्डाराम पुत्र धोकलराम कुम्हार
   निवासीगण ग्राम देचू, तहसील शेरगढ
   जिला जोधपुर
5. जन्तूकंवर पत्नी स्व. दलसिंह राजपूत
6. मोहनकंवर पुत्री स्व. दलसिंह राजपूत
7. किशनकंवर पुत्री स्व. दलसिंह राजपूत
8. चुनकंवर पुत्री स्व. दलसिंह राजपूत
   निवासीगण ग्राम उग्रास, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर
9. महिपाल पुत्र बाबूलाल विश्नोई
10. रामनिवास पुत्र बाबूलाल विश्नोई
11. विनोद पुत्र आदूराम विश्नोई
12. झमू पत्नी स्व. आदूराम विश्नोई
13. लक्ष्मी पुत्री स्व. आदूराम विश्नोई
    निवासीगण ग्राम ढढू, तहसील फलोदी
    जिला जोधपुर
14. छोटूराम पुत्र काजूराम विश्नोई
15. कानाराम पुत्र सूरजनामथ विश्नोई
    a. मीरा पत्नी स्व. कानाराम विश्नोई
    b. रामनिवास पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
    c. भीखाराम पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
    d. सुनील पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
    e. कैलाश पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
    f. बालकिशन पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
    g. अनिल पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
    h. साकू पुत्री स्व. कानाराम विश्नोई
    i. रोशनी पुत्री स्व. कानाराम विश्नोई
    j. पार्वती पुत्री स्व. कानाराम विश्नोई
       निवासीगण ग्राम उग्रास,
       तहसील फलोदी, जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

16. निदेशक जरिये एस.ई.आई. सोलर पॉवर प्राईवेट लि.
10 फ्लोर मेनन इण्टरनिटी 1645 सेण्टमेरी रोड
अलवर पेठ, चैन्नई
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 24 जुलाई 2018 राजस्व वाद संख्या 401/2012 स्व. उदाराम के कायममुकामान व अन्य बनाम जन्तुकंवर इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री शेरसिंह राठौड, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 7
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 17

(3) 2018RAAJu223RTA150 Meera etc Vs Chenaram etc

निदेशक, एस.ई.आई. सोलर पावर प्रा.लि. (सन एडिशन इण्डिया प्रा. लि.) वर्तमान पता गांव उग्रास तहसील फलोदी जिला जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि
पंजीकृत कार्यालय शक्ति टावरस - 4 फ्लोर 766 अन्ना सालाई, चैन्नई जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

----- **अपीलाण्ट**

ब

ना

म

1. स्व. उदाराम पुत्र धोकलराम कुम्हार के कायममुकामान--
   a. चेनाराम पुत्र स्व. उदाराम कुम्हार
   b. घेवरराम पुत्र स्व. उदाराम कुम्हार
   c. रतनाराम पुत्र स्व. उदाराम कुम्हार
   d. पपु पत्नी स्व. उदाराम कुम्हार
2. गजाराम पुत्र धोकलराम कुम्हार
3. चुनाराम पुत्र धोकलराम कुम्हार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

4. घमण्डाराम पुत्र धोकलराम कुम्हार
   निवासीगण ग्राम देचू, तहसील शेरगढ
   जिला जोधपुर
5. जन्तूकंवर पत्नी स्व. दलसिंह राजपूत
6. मोहनकंवर पुत्री स्व. दलसिंह राजपूत
7. किशनकंवर पुत्री स्व. दलसिंह राजपूत
8. चुनकंवर पुत्री स्व. दलसिंह राजपूत
   निवासीगण ग्राम उग्रास, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर
9. महिपाल पुत्र बाबूलाल विश्नोई
10. रामनिवास पुत्र बाबूलाल विश्नोई
11. विनोद पुत्र आदूराम विश्नोई
12. झमू पत्नी स्व. आदूराम विश्नोई
13. विमला पुत्री स्व. आदूराम विश्नोई
14. लक्ष्मी पुत्री स्व. आदूराम विश्नोई
    निवासीगण ग्राम ढढू, तहसील फलोदी
    जिला जोधपुर
15. छोटूराम पुत्र काजूराम विश्नोई
16. कानाराम पुत्र सूरजनामथ विश्नोई के कायममुकामान --
    a. मीरा पत्नी स्व. कानाराम विश्नोई
    b. रामनिवास पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
    c. भीखाराम पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
    d. सुनील पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
    e. कैलाश पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
    f. बालकिशन पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
    g. अनिल पुत्र स्व. कानाराम विश्नोई
    h. साकू पुत्री स्व. कानाराम विश्नोई
    i. रोशनी पुत्री स्व. कानाराम विश्नोई
    j. पार्वती पुत्री स्व. कानाराम विश्नोई
       निवासीगण ग्राम उग्रास,
       तहसील फलोदी, जिला जोधपुर
17. श्रीमती स्मिता जैन पत्नी श्री लाडेश जैन
    निवासी समता भवन के पास
    आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के पास
    हुडको चौराहा के पास कमला नेहरू नगर
    जोधपुर
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 24 जुलाई 2018 राजस्व वाद संख्या 401/2012 स्व. उदाराम के कायममुकामान व अन्य बनाम जन्तुकंवर इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री किशोर रंगा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री शेरसिंह राठौड, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1/1

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. 15 व 16 के कायममुकामान

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 24 दिस., 2019

उपरोक्त तीनों अपीलें अपीलाण्ट्स द्वारा राजस्व वाद संख्या 401/2012 स्व. उदाराम के कायममुकामान व अन्य बनाम जन्तुकंवर आदि में विद्वान सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 जुलाई 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

तीनों अपीलों से संबंधित मूल वाद, अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री, वादग्रस्त आराजियात एवं पक्षकारान एक समान होने के कारण उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से इन तीनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक संबधित पत्रावली के साथ संलग्न रखी जावें।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से सात की ओर से एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 सपठित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 पेश कर जाहिर किया गया कि:--

1. स्व. बुलीदानसिंह पुत्र गुलसिंह के नाम वक्त सेटलमेण्ट ग्राम उग्रास तहसील फलोदी स्थित आराजी खसरा संख्या 213 रकबा 729 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 220 रकबा 109 बीघा, खसरा संख्या 400 रकबा 106 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 401 रकबा 61 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 481 रकबा 564 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 426 रकबा 96 बीघा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 442 रकबा 74 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 444 रकबा 76 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 452 रकबा 73 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 484 रकबा 117 बीघा 03 बिस्वा, और खसरा संख्या 400 रकबा 106 बीघा 11 बिस्वा का पट्टा जारी किया गया, जिसकी पुष्टि खतौनी बंदोबस्त संवत 2012-2021 एवं तत्कालीन जमाबंदी से होती है।

वाद में जाहिर किया गया कि बुलीदानसिंह के देहान्त के बाद उक्त आराजियात जरिये म्युटेशन संख्या 48 दिनांक 30 अक्तूबर 1963 दलसिंह पुत्र बुलीदानसिंह के नाम दर्ज हो गयी। जमाबंदी संवत 2014 के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजियात में स्व. बुलीदानसिह के जीवनकाल में ही दलसिंह का कब्जा काश्त चला आ रहा था और बुलीदानसिंह के देहान्त के बाद दलसिंह वादग्रस्त आराजियात का तनहा खातेदार काश्तकार हो गया। दिनांक 26 सितम्बर 1966 को दलसिंह ने उक्त आराजियात में से खसरा संख्या 213 रकबा 729 बीघा 04 बिस्वा में से तीन अलग-अलग पंजीबद्ध विक्रय विलेख, प्रथम विक्रय विलेख उदाराम पुत्र धोकलराम कुम्हार के पक्ष में 82 बीघा 05 बिस्वा भूमि बाबत निष्पादित कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया, जिसके आधार पर म्युटेशन स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया गया और अलग खसरा नम्बर 213/1 रकबा 82 बीघा 05 बिस्वा कायम किया जाकर उदाराम पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धोकलराम की खातेदारी में दर्ज किया गया। द्वितीय पंजीबद्ध विकय विलेख गजाराम पुत्र धोकलराम कुम्हार के पक्ष में 82 बीघा 05 बिस्वा भूमि बाबत निष्पादित कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया, जिसके आधार पर म्युटेशन स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया गया और अलग खसरा नम्बर 213/2 रकबा 82 बीघा 05 बिस्वा कायम किया जाकर गजाराम पुत्र धोकलराम की खातेदारी में दर्ज किया गया। तृतीय पंजीबद्ध विकय विलेख चुनाराम व घमण्डाराम पिसरान धोकलराम कुम्हार के पक्ष में 164 बीघा 14 बिस्वा भूमि बाबत निष्पादित कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया, जिसके आधार पर म्युटेशन स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया गया और अलग खसरा नम्बर 213/3 रकबा 164 बीघा 14 बिस्वा कायम किया जाकर चूनाराम व घमण्डाराम पिसरान धोकलराम की खातेदारी में दर्ज किया गया। वाद में यह भी जाहिर किया गया कि सितम्बर 2007 तक उक्त केतागण का अपनी कयशुदा आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की कोई दखल किसी के द्वारा नहीं दी गयी, मगर अक्तूबर 2007 में प्रतिवादीगण संख्या पॉच से नौ द्वारा एलानिया धमकी दी गयी कि उक्त सम्पूर्ण खसरा उनके कब्जे में है और साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में दावा संख्या 223/2006 (59/1966) विचाराधीन होने की जानकारी भी दी गयी, तब वादीगण ने उक्त वाद संख्या 223/2006 (59/1966) में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया और उक्त वाद की नकले आदि प्राप्त होने पर विदित हुआ कि उक्त प्रतिवादीगण ने विधिविरुद्ध तरीके से बिना किसी अधिकारिता से समस्त खसरान के राजस्व इन्दाज को बदल दिया है। वादीगण ने अपने वाद में यह भी जाहिर किया कि माह नवम्बर 2007 में प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 ने वादीगण को उनकी खातेदारी के 329 बीघा 04 बिस्वा रकबे में से करीब 150 बीघा रकबे से बेदखल भी कर दिया है और अब उसमें से भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनाधिकृत बेचान भी कर रहे है। वाद के अंत में वादीगण ने इस्तदुआ की कि उन्हें आराजी खसरा संख्या 213 कुल रकबा 729 बीघा 04 बिस्वा में से वादीगण द्वारा कय की गयी आराजियात कमशः 82 बीघा 5 बिस्वा, 82 बीघा 5 बिस्वा व 164 बीघा 14 बिस्वा कुल 329 बीघा 04 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, प्रतिवादीगण संख्या 5 से 13 द्वारा वादीगण की खसरा संख्या 213 में से कय की गयी उक्त 329 बीघा 04 बिस्वा भूमि से जबरन कब्जें कर ली गयी 150 बीघा भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को लौटाया जावे, खसरा संख्या 213 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से चार के मध्य माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन कराया जावे, और तत्पश्चात विधिवत भौतिक कब्जे अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण के पक्ष में जारी की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या एक से ग्यारह व तेरह अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा रेस्पो. संख्या बारह की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए मगर कोई जबाबदावा पेश नहीं किया गया, सो तनकियात कायम नहीं की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले में साक्ष्य सुनवाई के बाद उक्त दावा दिनांक 24 जुलाई 2018 को वादीगण का दावा स्वीकार कर लिया गया जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष उक्त तीनों अपीलें पेश की गयी है और प्रत्येक अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक-एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

अपील संख्या 150/2018 में अधिवक्ता अपीलाण्ट्स श्री पूनाराम विश्नोई ने अपनी बहस में प्रकारण के तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बिन्दुओंका दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा विचाराधीन रहने के दौरान ही प्रतिवादी संख्या ग्यारह कानाराम पुत्र सुरजनराम का देहान्त हो गया था, मगर उसके विधिक वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये, अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एक मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित किये गये होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार के पिता उदाराम पुत्र धोकलराम द्वारा अपीलाण्ट्स के पक्ष में दिनांक 11 अप्रेल 1972 को खसरा संख्या 231/1 रकबा 82 बीघा 05 बिस्वा का जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बेचान को देखे बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये। जबकि उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख अस्तित्व में रहते वादी-रेस्पो. उक्त आराजी का कब्जा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते है। अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजी के खातेदार है, अतः उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने के पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का समुचित अध्ययन नहीं किया गया अन्यथा यह स्थिति भलीभांति प्रकट हो जाती कि जब वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार के पिता द्वारा अपनी कयशुदा भूमि का 1972 में विक्रय कर दिया था तो उसके बाद उसी भूमि के बारे में वाद प्रस्तुत करने का उन्हें कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं रहता है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने मियाद के संबंध में धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया और कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री उनकी अनुपस्थिति में पारित किये गये इस कारण समुचित समय में अपील पेश नहीं की जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सकी। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में प्रतिवादी संख्या 19 के अधिवक्ता का कथन कि रेस्पो. संख्या 11 की मृत्यु की जो तारीख बतायी जा रही है, उससे पहले ही उक्त प्रतिवादी के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की जा चुकी थी। अपीलाण्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, अतः उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अब आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा के बाद विलम्ब से पेश की गयी, जो मियाद-बाधित होने के कारण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

अपील संख्या 156/2018 में अधिवक्ता-अपीलाण्ट श्री रोशनलाल विश्नोई का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31 अप्रेल 2014 को प्रतिवादी संख्या 12 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही कां आदेश दिया गया। जिसके खिलाफ दिनांक 08 जनवरी 2016 को आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश किया, जो दिनांक 14 मई 2018 की आदेशिका अनुसार खारिज किया गया विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया आदेशिका में अंकित किया गया। मगर पृथक से लिखाया गया कोई निर्णय/आदेश अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि आदेश 9 नियम 7 का आवेदन रहा है कि 31 जनवरी 2014 की आदेशिका में जिस रजिस्टर्ड एडी रसीद का संदर्भ दिया गया है, वह 13 मार्च 2013 की है, उसके बाद 10 सितम्बर 2013 की आदेशिका .. "प्रतिवादी संख्या 12 का सम्मन तामील/अदम तामील प्राप्त नहीं! इंतजार होकर मिसल 18.9.13 को पेश हो।" उपलब्ध है। जो नोटिस भेजे गये, उन पर पता सही नहीं है, वादपत्र में पता ए-168 कमला

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नेहरू नगर जोधपुर अंकित है, जबकि नोंटिस मात्र कमला नेहरू नगर, जोधपुर के पते पर भिजवाया गया है। रजिस्टर्ड सम्मन भेजने पर तामील की अवधारणा 30 दिन की है। दिनांक 8 जनवरी 2016 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किये जाने तक वाद में जबाब का अवसर भी बंन्द नहीं किया गया था। अपने प्रार्थनापत्र में अपीलाण्ट ने स्पष्ट वर्णित किया था कि प्रतिवादी **SunEdison Energy India Pvt.** Ltd. CHENNAI को ***एन.ई.आई. सोलर पॉवर*** प्राईवेट लिमिटेड,के नाम से पक्षकार बनाया गया, जिससे सही पक्षकार पर तामील होना सम्भव ही नहीं रहा। विकयशुदा भूमि विकेता के नाम वापस कर दी। सीपीसी में विहित वाद विचारण की प्रकिया की पूर्ण पालना नहीं हुई है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने मियाद के संबंध में धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वणित बिन्दुओं को दोहराया और कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी उनकी अनुपस्थिति में पारित किये गये इस कारण समुचित समय में अपील पेश नहीं की जा सकी। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अपील संख्या 13/2018 के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट श्री किशोर रंगा ने 2003(2) डब्ल्युएलसी (एससी) पेज 001 हेडनोट सी, एआईआर 1968 राज. 51, 2003(4) डब्ल्युएलसी (राज.) 426 हेडनोट बी, 1994(1) आरएलआर 187 नजीरें पेश करते हुए अपनी बहस आरम्भ की और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को गलत नाम से पक्षकार बनाया अर्थात अपीलाण्ट को **SunEdison Energy India Pvt. Ltd.** CHENNAI को ***एन.ई.आई.*** सोलर पॉवर प्राईवेट लिमिटेड,के नाम से पक्षकार बनाया गया, जिससे सही पक्षकार पर तामील होना सम्भव ही नहीं रहा। पूर्व में इसी खसरा की भूमि बावत एक अन्य दावा 59/1966 चला था

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ अदालत हाजा में अपील पेश हुई थी और अदालत हाजा द्वारा उक्त अपील आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए प्रकरण इस बिनाय पर निर्णय व डिक्री खारिज किया जाकर रिमाण्ड किया कि वादग्रस्त आराजियात के सभी सहखातेदारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का जानकारी के अभाव में समुचित अवसर प्रदान कर मूल पर का विधिसम्मतः एवं न्यायोचित निस्तारण किया जावे। उक्त वाद के विचारण के दौरान वादग्रस्त आराजी में से कई भू-भागों का बेचान व अंतरण किया जा चुका था। वस्तुतः मामले में यथोचित विवाधकों की रचना की जाकर ही मामले का निस्तारण किया जा सकता है। अपने द्वारा प्रस्तुत नजीरों के हवालें से अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि बिना जबाबदावा भी न्यायालय द्वारा आवश्यकतानुसार विनिश्चय के बिन्दु निर्धारित किये जा सकते है। पूर्ववर्ती वाद के कारण भी यह मामला आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के तहत बाधित है। जिस तथाकथित विकय विलेख के आधार पर वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों को प्राप्त होना मानते है, व विकय विलेख अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने मियाद के संबंध में धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वणित बिन्दुओं को दोहराया और कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री उनकी अनुपस्थिति में पारित किये गये इस कारण जानकारी के अभाव में समुचित समय में अपील पेश नहीं की जा सकी। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 13 श्रीमान निदेशक जरिये एन.ई.आई. सोलर पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, 10 फ्लोर, मेननइटर सिटी 1645, सेन्टमेरी रोड, अलवर पेट, चैन्नई 600018 को पक्षकार बनाया गया है। तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भी इसी नाम व पते से जारी किये गये है जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पावती रसीद के अवलोकन से प्रकट होता है। प्राप्ति स्वरूप उक्त प्रतिवादी के कार्यालय की गोलमुहर **SunEdison Energy India Pvt. Ltd. CHENNAI** लगी हुई है। मगर नोटिस/सम्मन गलत नाम व पते से जारी होने के कारण इसे सीपीसी के प्रावधानों के अनुरूप सम्यक समुचित तामील की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

समुचित तामील के अभाव में पक्षकारान के खिलाफ की गई इकतरफा कार्यवाही की के कारण उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने और साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी किसी भी सूरत में समर्थन किये जाने योग्य नही पाया जाता है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में उनकी जानकारी के अभाव में पारित किये गये है। अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सदभाविक मानते हुए कण्डोन किया जाता है तथा उक्त तीनों अपीलें अन्दर मियाद-शुमार की जाती है तथा गुणावगुण पर आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 24 जुलाई 2018 अपास्त किया जाता है और प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मूल वाद में अघतन राजस्व रिकार्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मुताबिक सभी पक्षकार/प्रतिवादीगण को जबाबदावा प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार मूल वाद का नये सिरे से विधिसम्मतः एवं न्यायोचित ढंग से निस्तारण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 24/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर